UPBG010051812022

**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2014/2022
कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2389/2022

1. आशू पुत्र इकबाल,
2. आसिफ पुत्र भूरा,

निवासीगण ग्राम ककौर, थाना छपरौली, जिला बागपत।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

अ०सं०–242/2022
धारा–147, 323, 324, 307
354, 506 भा.द.सं.,
थाना–छपरौली,
जिला बागपत।

**आदेश**

**दिनांकः–18–10–2022**

प्रार्थी/अभियुक्तगण आशू व आसिफ की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ इकबाल पुत्र राजूदीन का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें झूँठा फॅसाया गया है। उन्होने उक्त अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष हैं। अभियुक्तगण ने किसी भी व्यक्ति पर कोई हमला नहीं किया है और न ही किसी के साथ छेडछाड या बदतमीजी की है। धारा 307 भा.द.सं. का कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्तगण को चुनावी रंजिश के कारण झूँठा फॅसाया गया है। सह–अभियुक्तगण आरिफ, रिजवान व हारूण की जमानत पूर्व में दिनांक 22.09.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 06.10.2022 से जेल में हैं। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार वादी श्रीमती रूखसाना ने दिनांक 20.08.2022 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि वह गॉव ककौर बडी, जिला बागपत की निवासी है। शोएब पुत्र शौकीन के साथ झगडा हुआ। झगडे में आरिफ, आशू, हारून, आसिफ, रिजवान, सभी ने मिलकर उसके पुत्र शोएब पर जानलेवा हमला किया, जिसमें आरिफ ने भाला से वार किया और रिजवान ने चाकू से वार किया, जिसमें उसकी पुत्री फरीन, समरीन के साथ अन्दर कमरे में ले जाकर बदतमीजी की तथा आरिफ ने घटना के बाद भागते हुए देशी कटटा हाथ में लिए कहा कि सीधी गोली मार दूँगा। उसे जान का खतरा है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चाकू से चोटें पहुॅचाना बताया गया है। चाकू की कोई चोट नहीं पायी गयी है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई दिनांक व समय अंकित नहीं है। आरिफ के द्वारा भाले से वार करना बताया गया है तथा देशी तमंचा भी आरिफ के हाथ में होना बताया गया तथा धमकी दी गयी की गोली मार देगा। गोली कोई नहीं चली है। जो चोटें आना बताया गया है, वह फटे हुए घाव की हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं करती हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण ने भाले व चाकू से चोटें पहुॅचायी हैं। पंचरड वून्ड भी पाया गया है। अतः चोटों की प्रकृति को देखते हुए जमानत का आधार नहीं है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का अवलोकन किया।

केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कोई को दिनांक व समय अंकित नहीं है। गवाहान ने घटना का दिनांक 19.08.2022 को सांय 05.15 बजे बताया है तथा चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण भी दिनांक 19.08.2022 को 06.12 पी.एम. पर कराया गया है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दिनांक 20.08.2022 को 14.10 बजे दर्ज करायी गयी है। डाक्टर की राय के अनुसार सभी चोटें कुन्दाले से आई थीं, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चाकू व भाले से चोटें पहुॅचाया जाना बताया गया है। गोली की कोई चोट नहीं पायी गयी है। सह–अभियुक्तगण आरिफ, रिजवान व हारूण की जमानत पूर्व में दिनांक 22.09.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 06.10.2022 से जेल में हैं। अतः मामले की परिस्थितयों में प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण <u>आशू व आसिफ</u> का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन <u>एक लाख रू0</u> का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की दो–दो जमानत तथा इस आशय की अंडरटेकिंग कि अभियुक्तगण गवाहान को धमकायेंगे नहीं, उनके घर नहीं जायेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे, सम्बिन्धत मजिस्ट्रेट की संतुिष्ट अनुसार निष्पादित करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः–18–10–2022

**(अवध बिहारी सिंह),**
प्रभारी सत्र न्यायाधीश, बागपत।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 5897